तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
16.07.2025	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अपीलांट वकील उपस्थित।	

अपीलांट वकील ने अपील पेश की है कि ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित खसरा नंबर 3222, 3223, 3243 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 2.24 है0 भूमि खातेदार नाथ्या पुत्र सुखा गुर्जर की खातेदारी भूमि थी, जिसकी मृत्यु दिनांक 03.08.2003 को हो चुकी है। मृतक नाथ्या पुत्र सुखा गुर्जन निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा का सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

सुखा
↓
नाथू (फोत)
↓

रामफूल पुत्र	बाबूलाल पुत्र	शान्ति पुत्री	रामकन्या पुत्री	गुलाब पुत्री	रामपति पुत्री	धनपाल पुत्री

उक्त सभी मृतक नाथ्या उर्फ नाथूलाल गुर्जर के विधिक उत्तराधिकारी है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सारसोप ने द्वारा दिनांक 20.03.2006 को जारी किया है। मृतक नाथ्या पुत्र सुखा गुर्जर निवासी सारसोप की मृत्यु के बाद उनकी छोडी हुई भूमि वाके ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा का उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का सारसोप को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर पटवारी हल्का सारसोप द्वारा दिनांक 14.05.2006 को नामान्तकरण संख्या 281 ग्राम सारसोप भरकर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच हेतु शिवाड के यहां पेश किया एवं दिनांक 28.07.2006 करो विपक्षी ने उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार किया, जिसमें अपीलान्ट का नाम सहवन से रामफूल की जगह मनफूल दर्ज कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, जबकि अपीलान्ट का नाम मनफूल न होकर रामफूल है, जिसका उल्लेख अपीलान्ट व उसके भाई बहिन के नाम दर्ज कर ग्राम सारसोप की कृषि भूमि में अंकित है। उक्त विवादित नामान्तरकरण हल्का पटवारी सारसोप ने मजमे आम में जांच कर तस्दीक नहीं किया क्योंकि अपीलांट का नाम रामफूल होते हुए भी सही नाम का अंकन न कर नामान्तरकरण में मनफूल दर्ज किया, जो गलत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर निवेदन है कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 281 निर्णय दिनांक 28.7.2006 ग्राम पंचायत सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर निरस्त किया जाकर एवं विस्तृत जांच कर अपीलांट का नाम मनफूल के स्थान पर रामफूल दर्ज किया जाकर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। रेस्पोंडेंट बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलांट के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने अपीलांट वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

स्थाई जमाबंदी दिनांक 17.09.2019 के अनुसार खाता संख्या 362 के खसरा नंबर 3222, 3223 एवं 3243 मृतक नाथ्या पुत्र सुखा गुर्जर के नाम अंकित है। स्थाई जमाबंदी दिनांक 17.09.2019 के खाता संख्या 399 में विरासत के नामान्तरकरण संख्या 281 फैसल दिनांक 28.07.2006 में नाथ्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.07.23 15:37:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner